

श्रीमान् राज मण्डल ग्वालियर म0प्र0 (कैपकोर्ट रीवा)



हृदय नारायण सिंह तनय श्रीरामप्रीत सिंह निवासी ग्राम कुदरी तहसील
सोहगपुर हाल निवासी जी०९/७१ पुलिस लाइन नेहरू नगर भोपाल
म०प्र० —— आवेदक/निगाराकार

— आवेदक / निगाराकार

विरुद्ध

- 1— खड़ग सिंह तनय श्री रामप्रीत सिंह, निवासी ग्राम कुदरी
तहसील सोहगपुर जिला शहडोल म0प्र0

2— महेन्द्र जौहरी तनय श्री महादेव प्रसाद जौहरी निवासी ग्राम
कोतमा रोड शहडोल तहसील सोहगपुर जिला शहडोल म0प्र0
—अनावेदक / गैरनिगाराकार

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के
न्यायालय के प्रकरण को 727/
निगरानी/7-8में पारित आदेश
दिनांक 13/06/08 के विरुद्ध
निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

प्रकरण के सक्षप तथ्य यह ह कि निगाराकर हृदय नारायण सह
शासकीय सेवा में अपने गृह ग्राम कुदरी से बाहार भोपाल मे निवास
करते थे जिस कारण अपने स्वामित्व एवं कब्जे दखल एवं पटटे की
आराजी जो तहसील सोहागपुर मे थी उसकी व्यवस्था सही ढंग से न
कर पाने के कारण एवं विभिन्न न्यायालय चल रहे न्यायालयीन
मुकदमे की पैरवी हेतु एक मुक्तियार नामा अपने भाई खड़ग सिंह जो
इस प्रकरण में अनावेदक है के नाम दिनांक 05/05/90 निष्पादित
कराया। अनावेदक ने आवेदक के विवादित आराजी का नामान्तरण
दिनांक 23/01/91 को स्वत्व अपने नाम करा लिया इस आदेश के
विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में की गई जहौं
पर अनावेदक द्वारा प्ररभिक आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गई
कि नामान्तरण सहमति पर पारित किया गया है इस लिए अपील
निरस्त की जाय अनुविभागीय अधिकारी ने उपपक्षों से सुनाने के
पश्चात दिनांक 22/10/98 को आपत्ति निरस्त कर दिया जिसकी
निगारानी अनावेदक द्वारा कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में की गई

✓

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-आ

मामा क्र०-

R.267-II/12

जिला- शहडोल

हृदयनारायण सिंह/ खड्ग सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.02.19	<p>1. प्रकरण आज प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र पाण्डेय उपस्थित एवं अनावेदक अभिभाषक श्री रजनीश मिश्रा अनुपस्थित हैं।</p> <p>3. दिनांक 23.01.19 को उभयपक्ष अभिभाषकगणों के तर्क धारा 5 के बिन्दु पर सुने गये।</p> <p>4. दिनांक 14.02.19 को आवेदक अभिभाषक श्री राजेन्द्र पाण्डेय उपस्थित एवं अनावेदक अभिभाषक श्री रजनीश मिश्रा अनुपस्थित थे।</p> <p>5. दिनांक 23.01.19 को उभयपक्ष अभिभाषकगणों के तर्क सुनने के उपरान्त यह पाया गया, कि अधीनस्थ अपर आयुक्त के द्वारा हृदय नारायण (निगरानीकर्ता) के विरुद्ध दिनांक 12.06.18 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, लेकिन उक्त दिनांक की सूचना की तामीली आवेदक को नहीं थी। आवेदक (निगरानीकर्ता) को सुने बिना ही अपर आयुक्त द्वारा एक तरफा निर्णय लिया गया जो उचित नहीं था। अतः निगरानी स्वीकार करते हुये, अपर आयुक्त के द्वारा दिनांक 12.06.08 की कार्यवाही को निरस्त किया जाता है, जिससे दिनांक 13.06.08 की कार्यवाही स्वतः ही दूषित हो जाती है।</p> <p>6. अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल को प्रत्यावर्तित किया जाता है, कि आवेदक हृदय नारायण को भी मौका देते हुये, उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त गुणदोष के आधार पर निर्णय पारित करें।</p>	

7. उभय पक्ष दिनांक 25.04.19 को अपर आयुक्त
न्यायालय में उपस्थित हो।

(३)

25/04/19
(आर.के. जैन)
सदस्य